

## 1. योजना

- I. इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण की "त्यौहार आवासीय योजना-2004" है।
- II. योजना दिनांक 20.10.2004 से 24.11.2004 तक खुली रहेगी।
- III.. योजना के अन्तर्गत दिए गए फ्लैट्स का विवरण संलग्नक 'ए' में दिया गया है। फ्लैट्स 'जहां है जैसा है' के आधार पर दिए जाएंगे। आवेदन करने से पहले आवेदक को फ्लैट्स देख लेने चाहिए। सभी फ्लैट्स पूर्ण एवं कब्जे हेतु तैयार स्थिति में हैं।

## 2. पात्रता

- I. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- II. उसे व्यस्क होना चाहिए। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- III. आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर, फ्री होल्ड आधार पर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अवयस्क अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवासीय मकान/फ्लैट के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व वाले प्लॉट या भूमि में आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्ग गज) से कम है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता/सकती है।
- IV. ऐसा व्यक्ति, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी विभाग द्वारा निर्मित मकान/प्लॉट आवंटित किया जा चुका है चाहे वह 66.9 वर्ग मीटर (80 गज) से कम हो, वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- V. कोई आय-सीमा नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन-क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है।
- VI. आवेदक का किसी अनुसूचित बैंक में आवेदन की तिथि पर खाता होना चाहिए और आवेदन का विवरण भरा होना चाहिए।

## 3. आरक्षण

इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है।

- I. 17.5% फ्लैट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे
  - II. 7.5% फ्लैट अनुसूचित जन-जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी।
  - III. 1% फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
  - IV. 1% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे और
  - V. 1% फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे
- यदि उक्त उल्लिखित पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते, तो बचे हुए सभी फ्लैटों का प्रस्ताव गैर-आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा।

## 4. आवेदन कैसे करें

- I. इस योजना के अन्तर्गत एक फ्लैट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को रु. 1,00,000/- की पंजीकरण राशि "दि.वि.प्रा." के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी बैंक के बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र पर संलग्नक (ब) में दर्शायी निर्धारित बैंक शाखाओं में से एक शाखा में योजना समाप्ति तक सभी कार्य दिवसों में जमा किया जाना है। विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र संलग्नक (ब) में दर्शाए गए बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, योजना

## 1. SCHEME

- I. The scheme is called "Festival Housing Scheme, 2004", of the Delhi Development Authority".
- II. The scheme shall remain open from 20.10.2004 to 24.11.2004.
- III. Detail of flats under this scheme is given in annexure 'A'. Flats are given on 'as is where is basis'. It would be presumed that applicant has seen the property before making application. All the flats are already constructed and are ready for occupation.

## 2. ELIGIBILITY

- I. The applicant must be a citizen of India.
- II. He/She should have attained the age of majority. For this an applicant should have completed 18 years of age as on the date of filling of the application for a flat.
- III. The applicant must not own any residential flat or plot in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi / New Delhi/ Delhi Cantonment either in his / her own name or in the name of his/her wife / husband or in the name of his / her minor or dependent children. If however, individual share of the applicant in the jointly owned plot or land under the residential house/flat is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) he/she can apply under this scheme.
- IV. A person who has already been allotted a house/flat constructed by the DDA or any other land owning department even if it is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) shall not be eligible to apply for another flat under this scheme
- V. There is no income limit. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability.
- VI. The applicant must have an account in any scheduled bank and the particulars must be filled in the application form.

## 3. RESERVATIONS

The details of reservations under this scheme are as given below :-

- I. 17.5 % of the flats for persons belonging to Scheduled Castes.
- II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes. If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa.
- III. 1% for war widows.
- IV. 1% for physically handicapped persons; and
- V. 1% for ex-serviceman.

If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to the persons of non-reserved categories.

## 4. HOW TO APPLY

- I. The applicant applying for a flat under this scheme shall have to deposit the registration money of Rs 1,00,000/- as by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented along with the application form completed in all respects on the prescribed form at one of the prescribed bank branches as mentioned in annexure B, on all working days during the currency of the scheme. Duly filled up application can also be sent by registered post addressed to the Branch Managers of nodal bank branches

समाप्ति के 15 दिन पूर्व भेजे जा सकते हैं लिफाफे के ऊपर स्पष्टतया “दि.वि.प्रा. की त्र्यौहार आवास योजना-2004” के अन्तर्गत आवेदन, लिखा होना चाहिए। चैक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- II. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी/अपने इच्छानुसार अपनी प्राथमिकता लिखने के लिए संलग्नक ‘अ’ में दिये हुए कोड को भरें एवं शेष बाक्स में (x) का निशान लगाएं। यदि कोई बाक्स खाली रहता है अथवा क्षेत्र हेतु प्राथमिकता नहीं दर्शायी जाती तो आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा एवं निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा सेक्टर/पॉकेट/तल को बदलने के लिए किसी आवेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- III. आवेदन-पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है। किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके उपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन-पत्र प्राप्त करके उसे भरें।
- IV. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही रद्द कर दिए जाएंगे।
- V. दि.वि.प्रा. की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति को भी इस योजना की पूरी पंजीकृत राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत झा निकल जाने पर आवेदक को पूर्व योजना की पंजीकरण राशि वापसी हेतु अलग से लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा।

#### 5. आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज

##### क) सभी श्रेणियों के लिए :

फार्म 60 में घोषणा यदि पैन नं. आवंटित नहीं किया गया हो।

##### ख) आरक्षित श्रेणी के लिए :

उपर्युक्त के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे;

- I. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- II. यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- III. भूतपूर्व सैनिक के मामले में रक्षा मंत्रालय/रक्षा विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- IV. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय/रक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए “अपेक्षित प्रमाण-पत्र” की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मामले पर आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसके मामले को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

##### 6. आवंटन का तरीका :

सभी पात्र आवेदकों के मामलों में बेतरतीब संख्या निर्दिष्ट तकनीक (रैंडम नम्बर इंडिकेटेड टैक्नीक) पर कम्प्यूटरीकृत झा के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। झा, पर्यवेक्षकों के पैनल की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

as mentioned in annexure B to reach not later than 15 days before the last date of closure of the scheme. The envelope should be clearly marked “Application under Festival Housing Scheme 2004 of DDA”. Payment by cheque will not be accepted.

- II. The applicant may give one or more preferences of his/her choice by writing codes, given in Annexure ‘A’, in appropriate box and put a cross (x) against the preferences not exercised. If any box is left blank or preferences are not given in prescribed codes, form would be considered incomplete and would be rejected. No preference for sector/pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket, floor shall be entertained by the DDA.
- III. The application form should be signed only by the person, who wants to get a flat under this Scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application.
- IV. No conditional application form will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.
- V. Persons holding a registration with DDA under any of its other schemes, can also apply under this scheme. They, however, have to make payment of Registration Amount of the scheme in full. They should separately make a written request for withdrawal of Registration Deposit of the earlier scheme once they are successful in this scheme.

#### 5. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FORM

##### (A) FOR ALL CATEGORIES:

Declaration in Form 60 in case PAN is not yet allotted.

##### (B) FOR RESERVED CATEGORY :

In addition to (A) above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-

- (i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the Reserved Category of SC/ST.
- (ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of physically handicapped persons.
- (iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Dept. of Defence in case of Ex-serviceman.
- (iv) An attested copy of “Requisite Certificate” issued by the Ministry of Defence/Dept. of Defence. (in case applicant comes under Reserved Category of war-widow). An applicant not submitting the requisite documents will not be considered for allotment under the Reserved Category and will be treated under the General Category.

#### 6. MODE OF ALLOTMENT

All the eligible applicants shall be considered for allotment through a computerized draw based on random number indicated technique. The draw shall be held in the presence of panel of observers.

## 7. आवंटन का परिणाम

- I. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजना की समाप्ति की तिथि से दो माह के भीतर ही ड्रा निकालने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वेब साइट <http://www.ddadelhi.com> पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।
- II. आवंटन एवं मांग-पत्र स्पीड पोस्ट/कोरियर/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती तो परिणाम का पता लगाने की जिम्मेदारी पूर्णतया आवेदक की होगी।

## 8. आवंटन की स्थिति

आवंटर फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। वैसे टाइटल तभी स्थानान्तरित होगी जब कन्वीयेंस डीड दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटी के नाम निष्पादित कर दी जाएगी और आवंटी उसको सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत कराने के उपरान्त प्राप्त कर लेगा।

## 9. पंजीकरण राशि पर ब्याज

- I. सफल आवेदकों के मामले में योजना बंद होने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर यदि ड्रा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- II. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीने के अन्दर यदि राशि वापिस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- III. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण राशि वापिस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर योजना बंद होने के बाद, तीन महीनों के बाद की अवधि हेतु जिस माह में वापसी की गई है, उसमें पिछले माह की अंतिम तिथि तक 5% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- IV. आवेदक ड्रा होने के एक महीने बाद यदि अपना पैसा वापिस प्राप्त नहीं करते तो वे उस बैंक की शाखा में सम्पर्क करें जहां उन्होंने आवेदन जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए पते पर आवेदकों के उपलब्ध न होने या अपूर्ण पता होने के कारण हुई देरी पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा।

## 10. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी

- I. दि.वि.प्रा. की दी गयी पंजीकरण राशि संलग्नक 'ब' में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन जमा किया हो, द्वारा वापिस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। दि.वि.प्रा. या बैंक, योजना के बन्द होने के एक साल के बाद राशि वापसी, हानि/खण्डन, राशि वापसी, चेक के न भुनाने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- II. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो, वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिह्नित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण भरने होंगे।

## 11. फ्लैट लौटाना/रद्द होना

- I. सफल आवेदकों के पास कब्जे का पत्र जारी किये जाने से पूर्व फ्लैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान के न किये जाने की दशा में फ्लैट स्वतः रद्द हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में, जमा राशि बिना

## 7. RESULT OF ALLOTMENT

- I. Every effort shall be made by DDA to conduct draw for allotment of flats within two months from last date of closure of the scheme. The results of the draw shall be displayed on the Notice Board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address <http://www.ddadelhi.com>. The result will also be published in the leading National Newspapers.
- II. The allotment-cum-demand letters will be dispatched through Speed Post/Courier/Registered Post but it shall be the sole responsibility of the applicant to check up the result of the draw if he/she does not get information despite the aforementioned means.

## 8. STATUS OF ALLOTTEE

The allotment shall be made on free hold basis. However, the title shall be transferred only when conveyance deed is executed by DDA in favour of the allottee and then the allottee gets it registered in the office of Sub-Registrar.

## 9. INTEREST ON REGISTRATION MONEY

- I. No interest will be paid if the draw is held within three months from the last date of closure of the scheme in case of successful applicants.
- II. In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within three months from the last date of the closure of the scheme.
- III. In case registration money is not refunded within three months from the closure of the scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 5% will be paid on the registration money for the period beyond three months after the closure of the scheme up to the last date of the preceding month in which refund has been made.
- IV. Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.

## 10. REFUND TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS

- I. DDA will refund the registration money through the nodal branch, as indicated in Annexure 'B', of the Bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned Bank shall be responsible for the despatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. The bank shall bear the responsibility for any loss on this account. DDA or the bank will not entertain any application for refund, loss/mutilation, non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.
- II. For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and, therefore, only his/her bank account number should be given. This account number and bank particulars will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars.

## 11. SURRENDER/CANCELLATION

- I. The successful applicants shall have the options to surrender the flats before the issue of the possession letter. Flat will be automatically cancelled in case payments are not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is

ब्याज के वापस की जाएगी। हालांकि, निर्धारित रद्द करण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :

क्र.सं.	विवरण	रुपये
1.	मांग पत्र की तिथि के 30 दिनों तक वापसी / रद्द करण	1,000 / -
2.	मांग पत्र की तिथि के 30 दिनों के बाद तथा 60 दिनों तक वापसी / रद्दकरण	5,000 / -
3.	मांग पत्र की तिथि के 60 दिनों के बाद तथा 90 दिनों तक वापसी / रद्दकरण	15,000 / -
4.	मांग पत्र की तिथि के 90 दिनों के बाद वापसी रद्दकरण	25,000 / -

- II. फ्लैट लौटाने/रद्द करवाने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हैं :
- क. आवंटित फ्लैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन एवं मांग-पत्र
- ख. आवेदन-पत्र में दिए गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण
- ग. आवेदन-पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा में पास बुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रभारी के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी।
- घ. नोट : फ्लैट के स्वयं रद्द होने की स्थिति में जैसा की उक्त में दिया गया है, राशि वापसी के लिए उक्त दस्तावेज जमा करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। राशि की वापसी दस्तावेजों के जमा होने पर होगी। यदि दस्तावेज 180 दिनों के भीतर जमा नहीं किये जायेंगे तो पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।

#### 12. फ्लैटों की अनुमानित लागत

- क. फ्लैटों की अनुमानित लागत संलग्नक 'अ' में दी गयी है, ये लागत 31-03-2005 तक वैध रहेगी उसके बाद प्रथम अक्टूबर और प्रथम अप्रैल को लागत संशोधित हो सकती है। यदि फ्लैट दक्षिण दिल्ली में है तो उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम, निर्माण व्यय तथा 20% सरचार्ज शामिल है। निर्माण व्यय में, विभागीय व्यय तथा निर्माणावधि तक का ब्याज शामिल है भूमि प्रीमियम हर वर्ष एक अप्रैल को जबकि निर्माण व्यय वर्ष में दो बार एक अक्टूबर तथा एक अप्रैल को संशोधित किया जाता है। लागत में भिन्नता श्रेणी के भीतर फ्लैटों के सवंत क्षेत्र में भिन्नता के कारण है। कुछ अन्य फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है। (दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकाधीन) यदि क्षेत्र में बदलाव होता है, तो नवीन जोड़े गये फ्लैटों की लागत तदनुसार बदलेगी।
- ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवंटी को फ्री होल्ड प्रभार देने की जिम्मेदारी है। वर्तमान अस्थायी फ्री होल्ड प्रभार संलग्नक 'अ' में दिए गए हैं। यदि दरें आगे संशोधित होती हैं तो लागू दरों को आवंटी द्वारा देना होगा।

#### 13. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आवंटन केवल नकद खरीद आधार पर होगा।

#### 14. भुगतान की अवधि

आवंटी को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आवंटी को यह राशि 15% वार्षिक की दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज सहित अगले 90 दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। यदि भुगतान मांग-पत्र की तिथि से 180 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता, तो फ्लैट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस' नहीं दिया जाएगा। इस योजना में ऑटोमैटिक

refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered :

S.No.	Particulars	Rupees
1.	Surrender/Cancellation upto 30 days from the date of demand letter	1000/-
2.	Surrender/Cancellation after 30 days from the date of demand letter upto 60 days.	5000/-
3.	Surrender/Cancellation after 60 days from the date of demand letter upto 90 days.	15000/-
4.	Surrender/Cancellation after 90 days from the date of demand letter	25000/-

- II. Following documents are to be submitted for refund in case of Surrender/Cancellation:
- a. Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.
- b. Proof of residence in case there is change of address from as given in the application form.
- c. Photocopy of passbook or bank manager's/ in charge certificate in case there is change in bank particulars from as given in the application form.
- d. Note : In case flat is cancelled automatically as stated above, it is the responsibility of the applicant to submit above documents for refund. Refund will be made only after submission of documents. If the documents are not submitted within 180 days, the registration money shall stand forfeited.

#### 12. DISPOSAL COST OF THE FLATS

- a) The tentative cost of the flats is given in annexure 'A'. This cost is valid up to 31.3.2005. Thereafter, the cost is liable for revision on every 1st Oct., and 1st April. The above cost includes land premium and cost of construction and 20% surcharge on "land premium and cost of construction" in case of flats in South Delhi. Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on every 1st Oct. and 1st April. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats. There may be some more flats added or deleted (at the discretion of DDA). If the area changes, the cost of newly added flats will change accordingly.
- b) In addition to above, allottee is liable to pay Free hold charges. Present provisional, free hold charges are given in annexure 'A', if these rates are revised upward, difference will be claimed from the allottee.

#### 13. MODE OF PAYMENT

**The allotment of flats shall be made on Cash Down basis only.**

#### 14. PERIOD FOR PAYMENT

Allottee is liable to make the payment within 90 days from the date of issue of demand letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 90 days along with interest @15% p.a. compounded as on 31st March. If the payment is not made within 180 days from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by



निरस्तीकरण के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार भुगतान न करने पर प्लैट रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रेस्टोरेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवंटी अगर मांगी गयी रकम की अदायगी 180 दिनों में करने में असफल हो जाता है तो उसको चाहिए कि रिफंड के लिए वांछित कागजा (अपने आप) दि.वि.प्रा. में जमा करा दें। जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण व्ययों की कमी करके वापिस कर दी जाएगी, जैसा पैरा 11 में उल्लेख किया गया है। यदि आवंटी ऑटोमैटिक निरस्तीकरण की तिथि से 180 दिनों के भीतर जरूरी कागजात को जमा करने में असफल होता है तो आवंटी द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जाएगी।

#### 15. आवंटन के बाद आरम्भिक मांग राशि का तरीका

भुगतान "डीडीए हाउसिंग" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी भी बैंक के बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। चैक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

डिमांड ड्राफ्ट आवंटन के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित बैंकों में प्रस्तुत करना होगा :

क्र.सं.	क्षेत्र	बैंक का नाम	शाखाएं	संबंधित व्यक्ति
1.	रोहिणी तथा दक्षिणी दिल्ली	एचडीएफसी बैंक	के.जी. मार्ग रोहिणी, वसंत कुंज	श्री कपिल मोंगा फोन : 51699418
2.	अन्य क्षेत्र	यूटीआई बैंक लि.	दिल्ली/नई दिल्ली की कोई भी शाखा	श्री विवेक पचोरी फोन : 26431800 26431300

#### 16. बंधक रखने/ऋण लेने की सुविधा

आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिए बिना मकान को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास प्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में जानकारी संयुक्त/उप निदेशक (आवास) दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए।

- भारत सरकार;
- राज्य सरकार;
- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय;
- राष्ट्रीयकृत बैंक;
- भारतीय जीवन बीमा निगम;
- भारतीय साधारण बीमा निगम;
- आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.);
- सहकारी बैंक;
- दिल्ली नगर निगम;
- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद;
- संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां भले ही शेयर धारित की प्रतिशतता कितनी भी हो।
- दिल्ली विश्वविद्यालय;
- सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
- भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रु. अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों।

the DDA for cancellation. **No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation** would be given in this scheme. **Also no restoration is allowed** once the flat is automatically cancelled due to non payment. Allottees should submit the required papers to DDA (on their own) for refund if they fail to deposit the demanded amount within 180 days. The amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 11. **If the allottee fails to submit required documents within 180 days from the date of automatic cancellation, the amount deposited by allottee shall be forfeited.**

#### 15. METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT

The payment of amount will have to be made by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Payment by cheque will not be accepted. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented at the following banks depending on the area of the allotment

S. no.	Area	Name of the bank	Branches	Contact persons
1.	Rohini & South Delhi	HDFC Bank Ltd.	KG Marg Rohini Vasant Kunj	Sh. Kapil Monga Ph.: 51699418
2.	Other areas	UTI Bank Ltd.	All Branches in Delhi/ New Delhi	Sh. Vivek Pachori Ph.: 26431800 26431300

#### 16. MORTGAGE/AVAILING LOAN

The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which flat has been mortgaged must be sent to Jt./Dy. Director (Housing), DDA.

- Government of India;
- State Governments;
- Union Territory Administration;
- Public Sector Undertakings/Autonomous bodies;
- Nationalized banks;
- Life Insurance Corporation of India;
- General Insurance Corporation of India;
- Housing Development Finance Corporation;
- Cooperative banks;
- MCD;
- NDMC;
- All Joint Sector companies, irrespective of the percentage of share holding;
- University of Delhi;
- All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company;
- All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of Rs. five crores or so.

- xvi. समस्त वित्तीय संस्थाएं/ बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता कितनी भी हो।
- xvii. समस्त सार्वजनिक कम्पनियों/ जिन्का पूंजीगत आधार 5 करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो।

#### 17. फ्लैटों का कब्जा

- i. आवंटित कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा/ होगी, जब कि उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हो, सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो और मांग एवं आवंटन-पत्र अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम 1968 में यथा-अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत/ निष्पादित कर दिये हों।
- ii. यदि आवंटित कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार तीन शयन कक्ष फ्लैट्स हेतु रु. 1250/- प्रतिमाह तथा दो शयन कक्ष फ्लैट्स एवं विस्तार होने योग्य आवासों हेतु रु. 1000/- प्रतिमाह है।
- iii. यदि वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक उक्तलिखित प्रभार के अतिरिक्त निर्धारित रेशटोरेशन/ रद्दकरण प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी।
- iv. सम्पत्ति "जहां है जैसा है" के आधार पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियम के पैरा 19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, चाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा फ्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।

#### 18. हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन

मांग-पत्र के साथ डीडीए द्वारा हस्तांतरण डीड (फ्री-होल्ड डीड) कागजात जारी किए जाएंगे। कब्जा पत्र के जारी करने से पहले कलैक्टर ऑफ स्टाम्प, दिल्ली सरकार से स्टम्पित कराने के पश्चात् डीडीए के पास जमा करा दें। सटैम्प ड्यूटी और अन्य खर्च आवंटित को अदा करने होंगे। आवंटित हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से, हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना ही हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं होगा और प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और फ्लैट का पुनः कब्जा लेने का हकदार होगा।

#### 19. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि

फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति लिए बिना आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन/ परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

- xvi. All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding.
- xvii. All public companies with a capital base of Rs. 5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances.

#### 17. POSSESSION OF FLATS

- i. The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter or the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- ii. If the allottee does not take possession of the flat within 3 months from the date of issue of possession letter, he/she shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges are Rs 1250/- per month for three bed room flats and Rs 1000/- per month for two bed room flats & expendable houses.
- iii. If the physical possession is still not taken over then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/ cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties.
- iv. The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints, whatsoever regarding Property Circumstances except as defined in para 19 of the Regulation referred to above or about cost of flats, its design, the quality of material used, workmanship or any other defect.

#### 18. EXECUTION OF CONVEYANCE DEED

Conveyance deed (Free Hold Deed) paper will be issued by the DDA along with the demand cum allotment letter. These are required to be stamped from the Collector of stamps, Govt. of NCT of Delhi and submitted to DDA before the possession letter is issued. Stamp duty and other expenses in this regard shall be borne by the allottees. Allottee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without execution of conveyance deed. Provided that in the event of a transfer being made without execution of conveyance deed, such transfer shall not be recognized by the Authority and it shall be open to the Authority to cancel the allotment and resume the flat.

#### 19. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC.

The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to other use. The allottee shall not be entitled to sub-divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions alterations without prior written permission of DDA.

**20. सामूहिक भाग और सामूहिक सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व**

प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य बनना अपेक्षित है। ये संस्थाएँ इन आवासीय पॉकेटों में सामूहिक भागों और सामूहिक सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य से बनायी जाएंगी।

**21. मिथ्या-कथन अथवा तथ्यों को छिपाना**

यदि यह पाया गया कि आवेदक ने कोई गलत सूचना दी है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है तो आवेदन-पत्र / आवंटन कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्दकरण के मामले में आवंटि को 5,000/- रु. का जुर्माना भी अदा करना होगा।

**22. अन्य सामान्य शर्तें**

- क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त / खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों / सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।
- ग) इस योजना के अंतर्गत आवंटन इस ब्रोचर, मांग एवं आवंटन पत्र और दि. वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।
- घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, टैक्स प्रभार, म्यूनिसिपल कर का निर्धारण अथवा अन्य और अन्य प्रकार की लेवी, जो भी हो, आवंटि अथवा पंजीकृत एजेन्सी / अपार्टमेंट स्वामी को एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करने होंगे और आवंटि अथवा पंजीकृत एजेंसी की अपार्टमेंट स्वामी की एसोसिएशन द्वारा देय होगा।
- ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।
- च) दि.वि.प्रा. के साथ आवंटन संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन पत्र सं. और फाइल सं. आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक / उप-निदेशक, दि.वि.प्रा., डी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।
- छ) यदि कोई शिकायत है तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-I, आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास) डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से संपर्क करें।
- ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आवंटन के हकदार नहीं होंगे।
- झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या / जी.आई.आर. सं. और आई.टी. सर्किल / वार्ड / जिला लिखना चाहिए अथवा फार्म 60 में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए / यदि स्थायी खाता सं. / जी.आई.आर. सं. का आवंटन नहीं हुआ हो अथवा इसके लिए आवेदन किया है। आयकर नियमों के नियम 114 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा-139(ए) के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या अपेक्षित है। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे रद्द किया जा सकता है।

**20. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES ETC.**

Every successful applicant is required to become a member of Association of Apartment Owners to be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her.

**21. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS**

If it is found that the applicant has given false information or suppressed any material fact, the application/ allotment will be rejected summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation, allottee will be liable to pay a penalty of Rs.5000/.

**22. OTHER GENERAL CONDITIONS**

- A. DDA reserves the right to alter any terms and conditions/ clause of the scheme at its discretion as and when considered necessary.
- B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in the scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.
- C. The allotment under the scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- D. As per provisions contained in Regulations No. 17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the Registered Agency/Association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/Registered Agency within the period specified in this behalf.
- E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
- F. In all the correspondence within DDA regarding allotment etc., the applicants are advised to quote their application form no. and the file no. etc. and such correspondence be addressed to Jt.Director/Dy. Director concerned, D-Block, Vikas Sadan, DDA, New Delhi-110023.
- G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-I, Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Adviser (Housing), D-Block, 1st floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
- H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their name at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.
- I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District or submit declaration in Form-60 in case the PAN/GIR number is not allotted or has been applied for. PAN is required under Section-139(A) of the I.T. Act read with Rule 114 of the Income Tax Rules. The application form without this information shall be considered incomplete and are liable to be rejected.

**ANNEXURE-A**

संलग्न-अ

**Details of tentative cost and codes**

Sl. no.	Particulars	Code	No of flats	Broad range of tentative cost (Rs lacs)	Provisional Conversion Charges \$ (Rs)
<b>A Three Bed Room Flats</b>					
1.	Vasant Kunj	AA	23	18.00 to 20.00	69,300/-
2.	Sarita Vihar	AB	164	19.00 to 20.00	69,300/-
3.	Sarita Vihar	AC	8	16.00 to 21.00	69,300/-
4.	Dwarka*	AD	162	17.00 to 19.00	52,000/-
5.	Dwarka	AE	31	16.00 to 20.00	52,000/-
6.	Kondli Gharoli	AF	32	15.00 to 16.00	17,400/-
7.	Gazipur	AG	13	12.00 to 15.00	17,400/-
<b>B Two Bed Room Flats</b>					
8.	Vasant Kunj,	BA	16	16.00 to 18.00	57,800/-
9.	Vasant Kunj	BB	49	12.00 to 15.00	57,800/-
10.	Sidharatha Ext.	BC	56	13.00 to 15.00	57,800/-
11.	Sidharatha Ext.	BD	8	11.50 to 12.00	57,800/-
12.	Sarita Vihar	BE	201	16.00 to 17.00	57,800/-
13.	Shalimar Bagh	BF	160	11.00 to 12.00	43,400/-
14.	Dwarka	BG	627	8.00 to 10.00	43,400/-
15.	Dwarka	BH	56	10.00 to 11.00	43,400/-
16.	Dwarka	BK	55	9.00 to 16.00	43,400/-
17.	Dwarka*	BM	36	14.50 to 17.00	43,400/-
18.	Rohini	BN	236	12.00 to 15.00	43,400/-
19.	Rohini	BO	18	8.00 to 10.00	43,400/-
20.	Jahangirpuri	BP	220	7.00 to 10.00	43,400/-
<b>C Expendable Houses Type B</b>					
21.	Bindapur	CA	180	10.00 to 11.00	43,400/-
22.	Nasirpur	CB	37	10.00	43,400/-
23.	Dwarka	CC	16	10.00	43,400/-
<b>D Expendable Houses Type A</b>					
24	Kondli Gharoli	DA	33	2.25	7,000/-

Note : The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats.

(\$ ) These charges are provisional. 40% rebate is allowed to original allottees, on these as per present policy.

(\*) Flat in multistory.

**अनुमानित कीमत का विवरण और स्थान कोड**

क्र. सं.	विवरण	कोड	फ्लैटों की संख्या	अनुमानित कीमत (रु. लाख में)	अस्थायी फ्री-होल्ड प्रभार \$ (रु.)
<b>क तीन बेडरूम फ्लैट्स</b>					
1.	वसंत कुंज	कक	23	18.00 से 20.00	69,300 / -
2.	सरिता विहार	कख	164	19.00 से 20.00	69,300 / -
3.	सरिता विहार	कग	8	16.00 से 21.00	69,300 / -
4.	द्वारका*	कघ	162	17.00 से 19.00	52,000 / -
5.	द्वारका	कड	31	16.00 से 20.00	52,000 / -
6.	कौंडली घरोली	कच	32	15.00 से 16.00	17,400 / -
7.	गाजीपुर	कछ	13	12.00 से 15.00	17,400 / -
<b>ख दो बेडरूम फ्लैट्स</b>					
8.	वसंत कुंज	खक	16	16.00 से 18.00	57,800 / -
9.	वसंत कुंज	खख	49	12.00 से 15.00	57,800 / -
10.	सिद्धार्थ एक्स.	खग	56	13.00 से 15.00	57,800 / -
11.	सिद्धार्थ एक्स.	खघ	8	11.50 से 12.00	57,800 / -
12.	सरिता विहार	खड	201	16.00 से 17.00	57,800 / -
13.	शालीमार बाग	खच	160	11.00 से 12.00	43,400 / -
14.	द्वारका	खछ	627	8.00 से 10.00	43,400 / -
15.	द्वारका	खज	56	10.00 से 11.00	43,400 / -
16.	द्वारका	खझ	55	9.00 से 16.00	43,400 / -
17.	द्वारका*	खट	36	14.50 से 17.00	43,400 / -
18.	रोहिणी	खठ	236	12.00 से 15.00	43,400 / -
19.	रोहिणी	खड	18	8.00 से 10.00	43,400 / -
20.	जहांगीरपुरी	खढ	220	7.00 से 10.00	43,400 / -
<b>ग विस्तार योग्य मकान टाईप-बी</b>					
21.	बिंदपुर	गक	180	10.00 से 11.00	43,400 / -
22.	नसीरपुर	गख	37	10.00	43,400 / -
23.	द्वारका	गग	16	10.00	43,400 / -
<b>घ विस्तार योग्य मकान टाईप-ए</b>					
24	कौंडली घरोली	घक	33	2.25	7,000 / -

नोट : श्रेणी के अंतर्गत कीमत में अंतर, प्लिन्थ एरिया में अंतर के कारण है।

(\$ ) ये प्रभार अस्थायी हैं। वर्तमान नीति के अनुसार असली आवंटियों को इस पर 40% छूट अनुमत है।

(\*) बहुमंजिले फ्लैट



**संलग्नक - ब**

**शाखाओं की सूची**

(रिफंड की प्राप्ति न होना, डिमांड-पत्र की पूछताछ हेतु)

- क) यूटीआई बैंक लिमिटेड, ई-64, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048  
सम्पर्क करें : श्री विवेक पचौरी फोन : 011-26230623, 26230490
- ख) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 सम्पर्क करें : श्री कपिल मोंगा और श्री राहुल सिक्का फोन : 011-23312782, 51699418
- ग) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, सूर्य किरण बिल्डिंग, भूतल, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 सम्पर्क करें : प्रबन्धक फोन : 011-23350568

**प्राधिकृत शाखाओं की सूची  
(आवेदन पत्रों की बिक्री एवं प्राप्ति के लिए)**

**दिल्ली एनसीआर में एचडीएफसी बैंक की शाखाएं :**

- अशोक विहार :**  
बी-3/2, अशोक विहार, फेस-II, नई दिल्ली-110 052
- चांदनी चौक :**  
516-536, पहली मंजिल, श्री महालक्ष्मी बिल्डिंग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006
- कनॉट प्लेस :**  
जी-3/4, सूर्या किरण बिल्डिंग, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
- दरियागंज :**  
4684-92, 21-ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
- डीयर पार्क :**  
एचडीएफसी हाउस, बी-6/3, सफदरजंग एन्क्लेव, डीयर पार्क के सामने, नई दिल्ली-110029
- द्वारका :**  
अग्रवाल सेंटर प्लाजा, प्लॉट नं. 11, सेक्टर-5, द्वारका नई दिल्ली
- डिफेंस कॉलोनी :**  
डी-23, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024
- ईस्ट पटेल नगर :**  
2/10, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 018
- गोपीनाथ बाजार :**  
1/172, गोपीनाथ बाजार, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010
- ग्रेटर कैलाश-II :**  
एम-44, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048
- गुजरावाला टाउन :**  
बी-10, गुजरावाला टाउन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110058
- जनकपुरी :**  
बी-28, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
- लाजपत नगर :**  
ए-9, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110 024
- कालकाजी :**  
सीसी-31, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
- मयूर विहार :**  
10-एलएससी, बी-ब्लॉक, मयूर विहार, फेस-II, नई दिल्ली-110091
- न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी :**  
डी-965, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
- पालम :**  
डी-5, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबरी रोड, पालम, नई दिल्ली-110045

**ANNEXURE-B**

**Name of Nodal Branches**

(for all queries regarding non receipt of refund, demand letter)

- UTI Bank Ltd.,** E-64, Greater Kailash-I, New Delhi-110048  
Contact persons: Sh Vivek Pachori. Ph. : 011-26230623, 26230490.
- HDFC Bank Ltd.,** FIG-Ops; 1<sup>st</sup> Floor, Kailash Building, K.G. Marg, New Delhi-110001. Contact persons: Sh Kapil Monga and Sh Rahul Sikka. Ph. : 011-23312782, 51699418.
- IDBI Bank Ltd.,** Surya Kiran Building, Ground Floor, 19, K.G. Marg, New Delhi - 110 001 Contact Person : Manager Ph.: 011-23350568

**LIST OF AUTHORISED BRANCHES  
(for sale and receipt of application forms)**

**HDFC Bank Branches in Delhi NCR**

- Ashok Vihar :**  
B-3/2, Ashok Vihar, Phase-II, New Delhi - 110 052
- Chandni Chowk :**  
516-536, First Floor, Shree Mahalaxmi Building, Chandni Chok, Delhi - 110006
- Connaught Place :**  
G-3/4, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001
- Darya Ganj :**  
4684-92, 21-A, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002
- Deer Park :**  
HDFC House, B-6/3, Safdarjung Enclave, Opp. Deer Park, New Delhi - 110 029
- Dwarka :**  
Aggarwal Central Plaza, Plot No. 11, Sector-5, Dwarka, New Delhi
- Defence Colony :**  
D-23, Defence Colony, New Delhi - 110 024
- East Patel Nagar :**  
2/10, East Patel Nagar, New Delhi - 110 018
- Gopinath Bazar :**  
1/172, Gopinath Bazar, Delhi Cantonment, New Delhi-110 010
- Greater Kailash - II :**  
M-44, Greater Kailash-II, New Delhi - 110 048
- Gujranwala Town :**  
B-10, Gujranwala Town, Part-I, New Delhi - 110058
- Janakpuri :**  
B-28, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058
- Lajpat Nagar :**  
A-9, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi - 110 024
- Kalkaji :**  
CC-31, Kalkaji, New Delhi - 110 019
- Mayu Vihar :**  
10-LSC, B-Block, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi - 110 091
- New Friends Colony :**  
D-965, New Friends Colony, New Delhi - 110 065
- Palam :**  
D-5 Mahavir Enclave, Palam Dabri Road, Palam, New Delhi - 110 045

18. **पंचशील पार्क :**  
एस-355, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017
19. **पीतमपुरा :**  
165, कपिल विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
20. **पंजाबी बाग :**  
17, सेन्ट्रल मार्केट, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
21. **राजौरी गार्डन :**  
जे-12/27, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
22. **रोहिणी :**  
आरजी कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 4, डीडीए कम्युनिटी सेन्टर, सेक्टर-IVZ, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
23. **साकेत :**  
ई-143, साकेत, नई दिल्ली-110017
24. **एसडीए :**  
सी-5/32, एसडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110048
25. **साउथ एक्सटेंशन :**  
डी-9, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली
26. **वसंत कुंज :**  
साइट नं. 2, ओसीएफ पॉकेट, सेक्टर-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
27. **वसंत विहार :**  
डी-1, शोपिंग सेन्टर-2, नई दिल्ली-110057
28. **विकास मार्ग :**  
जीएफ-1, 2, 3 लक्ष्मी दीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, नई दिल्ली-110092
29. **विवेक विहार :**  
बी-5, अशोका निकेतन, मेन रोड, नई दिल्ली-110092

#### नई दिल्ली में शाखाएं :

30. **विकास पुरी :**  
डी-117, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018
31. **पश्चिम विहार :**  
बी-2/10, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
32. **शालीमार बाग :**  
बीएन-11, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110 088
33. **आनन्द निकेतन :**  
सी-17, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021
34. **वसुन्धरा एन्क्लेव :**  
मानव आश्रय बिल्डिंग, 11, सर्विस सेन्टर, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स और कारगिल हाईट पेट्रोल पम्प के सामने, वसुन्धरा एन्क्लेव, नई दिल्ली-110096
35. **कश्मीरी गेट :**  
नं. 3909-3912, हमिल्टन रोड, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
36. **रूप नगर :**  
नं. 4/48, मेन रोड, रूप नगर, नई दिल्ली-110017

#### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड — एनसीआर क्षेत्र की शाखाएं :

1. **सिरी फोर्ट :**  
सिरी फोर्ट इंस्टिट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-110016  
फोन : 26861296/97/98/99
2. **कस्तूरबा गांधी मार्ग :**  
सूर्या किरण बिल्डिंग, ग्रांड उड फ्लोर, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
फोन : 23350568
3. **पीतमपुरा :**  
प्लॉट नं. 8, सी डी ब्लॉक, लोकल शॉपिंग सेन्टर, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034  
फोन : 27223623/5/9
4. **राजौरी गार्डन :**  
जे-13/37, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 फोन : 25911478/82/83

18. **Panchsheel Park :**  
S-355, Panchsheel Park, New Delhi - 110 017
19. **Pitampura :**  
165, Kapil Vihar, Pitampura, New Delhi - 110 034
20. **Punjabi Bagh :**  
17, Central Market, West Punjabi Bagh, New Delhi - 110 026
21. **Rajour Garden Delhi :**  
J-12/27, Rajouri Garden, New Delhi -110027
22. **Rohini :**  
RG Complex, Plot No. 4, DDA Community Centre, Sector IXZ, Rohini, New Delhi - 110 085
23. **Saket :**  
E-143, Saket, New Delhi - 110 017
24. **SDA :**  
C-5/32, SDA Commercial Complex, Safdarjung Development Area, New Delhi - 110 048
25. **South Extension :**  
D-9, South Extension, Part-II, New Delhi
26. **Vasant Kunj :**  
Site No. 2, OCF Pocket, Sector-C, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070
27. **Vasant Vihar :**  
D-1, Shopping Centre-2, New Delhi - 110 057
28. **Vikas Marg :**  
GF, 1, 2, 3, Laxmi Deep Building, Laxmi Nagar District Centre, New Delhi - 110 092
29. **Vivek Vihar :**  
B-5, Ashoka Niketan, Main Road, New Delhi - 110 092

#### Branches in New Delhi

30. **Vikas Puri :**  
D-117, Vikaspuri, New Delhi - 110 018
31. **Paschim Vihar :**  
B-2/10, Paschim Vihar, New Delhi - 110 063
32. **Salimar Bagh Branch :**  
BN-11, Shalimar Bagh, New Delhi - 110 088
33. **Anand Niketan :**  
C-17, Anand Niketan, New Delhi-110 021
34. **Vasundhara Enclave :**  
Manav Ashray Bldg., 11, Service Centre, Opp. DDA Sports Complex & Kargil Heights Petrol Pump, Vasundhara Enclave, New Delhi - 110 096
35. **Kashmere Gate :**  
No. 3909-3912, Hamilton Road, Mori Gate, Kashmere Gate, Delhi - 110 006
36. **Roop Nagar :**  
No. 4/8, Main Road, Roop Nagar, New Delhi - 110 017

#### IDBI Bank Ltd. - List of branches in the NCR region

1. **Siri Fort Branch :**  
Siri Fort Institutional Area, Khel Gaon Marg, New Delhi - 110 016  
Ph. : 26861296/97/98/99
2. **K.G. Marg Branch :**  
Surya Kiran Building, Gr. Floor, 19, K.G. Maerg, New Delhi - 110 001 Ph. : 23350568
3. **Pitampura Branch :**  
Plot No. 8, C.D. Block, Local Shopping Centre, Pitampura, New Delhi-110034 Ph. : 27223623/5/9
4. **Rajouri Garden Branch :**  
J-13/37, Rajouri Garden, New Delhi - 110 027  
Ph.: 25911478/82/83

5. **आईएफसीआई ईसी :**  
आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, पी.बी. नं. 4499, नई दिल्ली-110019  
फोन : 26231169 / 3415
6. **महिपालपुर :**  
हाउस सं. ई-14, खसरा नं. 550, वसंत कुंज रोड, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 फोन : 26787116-20
7. **फरीदाबाद :**  
ग्राउंड फ्लोर, एससीओ-99, सागर सिनेमा हाउस के पीछे, फरीदाबाद-121002  
फोन : 95129-25225027 / 5128 / 9
8. **गाजियाबाद :**  
सी-78, राज नगर, जिला केन्द्र, राज नगर, गाजियाबाद-201001  
फोन : 95120-2475000 / 5408-10
9. **गुडगांव (सिकन्दरपुर) :**  
पाल टावर, महारौली गुडगांव रोड, सिकन्दरपुर, गुडगांव-122002  
फोन : 95124-26357446 / 9

#### यूटीआई बैंक लिमिटेड

1. **नई दिल्ली मेन :**  
148, स्टेट्समेन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001  
फोन : 011-23311051, 23311047, 23311012, 23311024
2. **ग्रीन पार्क :**  
एस-28, ग्रीन पार्क मेन मार्किट, नई दिल्ली-110016  
फोन : 011-26522335, 26523407
3. **पीतमपुरा :**  
प्लॉट नं. 6, एलएससी, डीपी ब्लॉक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034  
फोन : 011-27317887, 27312069, 27312615, 27314523 (डी)  
फैक्स : 27312624
4. **ग्रेटर कैलाश :**  
ई-64, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 फोन : 011-26431800 / 1300,  
26452095 (डी), 26230450 फैक्स : 26230625
5. **शक्ति नगर :**  
प्लॉट नं. 1, अमर भवन, 11433, जीटी करनाल रोड, शक्ति नगर, दिल्ली-110007  
फोन : 011-27833440, 27433389, 27433394, 27433554
6. **स्वास्थ्य विहार :**  
ए-13, स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग दिल्ली-110092 फोन : 011-22016630,  
22016631 फैक्स : 22019730
7. **राजौरी गार्डन :**  
ए-11, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन के सामने, नई दिल्ली-110027  
फोन : 011-25163114 / 3831 / 4482 / 4426 / 25936107 फैक्स - 25936108
8. **विकासपुरी :**  
जे-3, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 फोन : 011-25522393 / 404,  
25590210 / 216-217 फैक्स : 25590216
9. **पश्चिम विहार :**  
बी-2/11, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 फोन : 011-25284801,  
25284803, 25288500 (डी), फैक्स : 25285600
10. **वसंत कुंज :**  
प्लॉट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, सेंटर फार सोशल रिसर्च, नेलसन मंडेला रोड, वसंत  
कुंज, नई दिल्ली फोन : 100-26130967, 26133059, 26133474, 26133742,  
26899088 फैक्स : 26131074
11. **खान मार्किट :**  
दुकान नं. 2 ए और 2 बी, खान मार्किट, नई दिल्ली-110009  
फोन : 011-24699370 (डी), 24699373, 24699375, 24699376, 24699384  
फैक्स 24699371
12. **लाजपत नगर :**  
बी-6, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024
13. **पालम :**  
डब्ल्यू जेड-24 ए, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

5. **IFCI EC Branch :**  
IFCI Towers, 61, Nehru Place, P.B. No. 4499, New Delhi -19  
Ph.: 26231169/3415
5. **Mahipalpur Branch :**  
House No. E-14, Khasra No. 550, Vasant Kunj Road, Mahipalpur,  
New Delhi - 110 037 Ph. : 26787116-20
7. **Faridabad Branch :**  
Ground Floor, SCO-99, Behind Sagar Cinema House,  
Faridabad 121002; Ph.: 95129-25225027/5128/9
8. **Ghaziabad Branch :**  
C-78, Raj Nagar, Distt. Centre, Raj Nagar, Ghaziabad-201 001  
Ph.: 95120-24753000/5408-10
9. **Gurgaon Branch (SIKANDERPUR) :**  
Pal Towers, Mehrauli Gurgaon Road, Sikanderpur,  
Gurgaon - 122002 Ph.: 95124-26357446/9

#### UTI Bank Ltd.

1. **New Delhi Main :**  
148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi  
Ph. : (011)-23311051, 23311047, 23311012, 23311024
2. **Green Park :**  
S-28, Green Park Main Market, New Delhi - 16  
Ph. : (011)-26522335, 26523407
3. **Pitampura :**  
Plot No.6, LSC, DP Block, Pitampura, Delhi 110 034  
Ph. : (011)-27317887/27312069, 27312615, 27314523 (D),  
Fax: 27312624
4. **Greater Kailash :**  
E-64, Greater Kailash-I, New Delhi 110 048  
Ph.: 011-26431800/1300, 26452095 (D), 26230450,  
Fax: 26230625
5. **Shakti Nagar :**  
Plot No.1, Amar Bhawan, 11433, G.T. Karnal Road, Shakti Nagar,  
Delhi 110 007 Ph. : (011)-27833440, 27433389/27433394/  
27433554
6. **Swasthya Vihar :**  
A-13, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi 110 092  
Ph. : (011)-22016630, 22016631, Fax: 22019730
7. **Rajouri Garden :**  
A-11, Vishal Enclave, Opp. Rajouri Garden, New Delhi-110 027  
Ph. : (011)-25163114 / 3831 / 4482 / 4426 / 25936107,  
Fax: 25936108
8. **Vikasपुरी :**  
J-3, Vikasपुरी, New Delhi 110 018 Ph. : (011)-25522393/404,  
25590210/216-217, Fax: 25590216
9. **Paschim Vihar :**  
B-2/11, Paschim Vihar, New Delhi 110 063  
Ph. : (011)-25284801, 25284803, 25288500 (D), Fax: 25285600
10. **Vasant Kunj :**  
Plot No. 2, Ground Floor, Centre for Social Research, Nelson  
Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi Ph. : (011)-26130967,  
26133059, 26133474, 26133742, 26899088, Fax: 26131074
11. **Khan Market :**  
Shop No. 2A & 2B, Khan Market, New Delhi 110 009  
Ph. : (011)-24699370 (D), 24699373, 24699375, 24699376,  
24699384, Fax: 24699371
12. **Lajpat Nagar :**  
B-6, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024
13. **Palam :**  
WZ-24A, Palam Village, New Delhi - 110045

14. **चितरंजन पार्क :**  
रायसेना बंगाली स्कूल, सीआर पार्क, शिव मंदिर के पास, नई दिल्ली-110019
15. **नोएडा :**  
बी-2 और बी-3, सेक्टर-16, नोएडा-201301 फोन : 95120-2914-510789, 2512744, 2512745, 2510691, 2510751 (डी), फैक्स : 510737
16. **डीएलएफ-गुडगांव :**  
एसजी-21 और 22, गलियारा शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, डीएलएफ फेस-IV, गुडगांव
17. **गाजियाबाद :**  
प्लॉट नं.-III, एन/30, अम्बेडकर रोड, नेहरू नगर, गाजियाबाद  
फोन : 95120-24756536, 24756545
18. **गुडगांव :**  
एससीओ-13, सेक्टर-14, हुडा ऑफिस के पास, गुडगांव-122001  
फोन : 0121-26339019, 26339020 फैक्स : (टी) 26339019
19. **बल्लभगढ़ :**  
फरीदाबाद, हरियाणा, प्लॉट नं. 40, एससीओ, सेक्टर-7, बल्लभगढ़, हरियाणा  
फोन - 95129-2211918, 2211920 फैक्स : 2211916
20. **अशोक विहार :**  
सी-3, अशोक विहार, फेस-I, नई दिल्ली-110052 फोन : 011-27441718-19, 27441721
21. **जनकपुरी :**  
सी-3/21, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन : 011-51587426-28, फैक्स : 51587429
22. **करोल बाग :**  
6/83, पदम सिंह रोड, पश्चिमी एक्टेंसन एरिया, करोल बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110005 फोन : 11-51000731-33 फैक्स : 011-51000734
23. **मालवीय नगर :**  
डी-81, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 फोन : 011-51831432-34 फैक्स : 51010000
24. **राजेन्द्र नगर :**  
78, पुरानी राजेन्द्र नगर मार्किट, पुराना राजेन्द्र नगर, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110 060 फोन : 011-25715637 फैक्स : 011-25715635
25. **साकेत :**  
ई-146, साकेत, नई दिल्ली-110017 फोन : 51664222, 51664333, 51664261-63 फैक्स : 27433446
26. **राइटस एक्स. काउन्टर (डीएलएफ-गुडगांव ब्रांच के बराबर में) :**  
राइटस ऑफिस कॉम्प्लैक्स, राइटस भवन, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-29, गुडगांव-122002, हरियाणा फोन : 0124-2818925, 2385604/14, 2573007/3011 फैक्स : 2385620
27. **रक्षा मन्त्रालय :**  
भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय, ई-ब्लॉक, डीएचक्यू पी.ओ. नई दिल्ली-110011  
फोन : 011-23794951/52 फैक्स : 011-23794961
28. **गीतारतन जिंदल पब्लिक स्कूल रोहिणी :**  
डी-14-15 पॉकेट, मेन रोड, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085  
फोन : 011-27061310/11/12 फैक्स : 011-27061314
29. **गुप्ता नर्सिंग होम, पलवल :**  
गुप्ता नर्सिंग होम और मेटरनिटी सेन्टर, न्यू कॉलोनी रोड, आगरा चौक के पास, पलवल-121102 (हरियाणा) फोन : 01275-240251/52, 240254  
फैक्स - 01275-240253
30. **कृष्णा नगर :**  
एफ-2/25, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051 फोन : 011-22092074-76  
फैक्स : 011-22092078
14. **Chitrnanjan Park :**  
Raisina Bengali School, CR Park, Near Shiv Mandir, New Delhi-110 019
15. **Noida :**  
B-2 & B-3, Sector-16, Noida - 201 301  
Ph. : (95120)-2914-510789, 2512744, 2512745, 2510691, 2510751 (D), 510737 (Fax)
16. **DLF - Gurgaon Branch :**  
SG-21 & 22, Galleria Shopping Complex, DLF Phase IV, Gurgaon
17. **Ghaziabad :**  
Plot No.III N/30, Ambedkar Road, Nehru Nagar, Ghaziabad  
Ph. : (95120)-24756536, 24756546
18. **Gurgaon :**  
SCO-13, Sector-14, Near HUDA Office, Gurgaon 122 001  
Ph. : (0124)-26339019, 26339020, Fax: (T) 26339019
19. **Ballabhgarh :**  
Faridabad, Haryana, Plot No.40, SCO, Sector-7, Ballabhgarh, Haryana Ph. : (95129)-2211918, 2211920, Fax: 2211916
20. **Ashok Vihar :**  
C-3, Ashok Vihar, Phase-I, New Delhi - 110052  
Ph. : 011-27441718-19, 27441721
21. **Janakpuri :**  
C-3/21, Janakpuri, New Delhi - 110058  
Ph. : 011-51587426-28, Fax : 51587429
22. **Karol Bagh :**  
6/83, Padam Singh Road, Western Extension Area, (W.E.A.) Karol Bagh, West Delhi, New Delhi - 110 005  
Ph. : 011-51000731-33 Fax : 011-51000734
23. **Malviya Nagar :**  
D-81, Malviya Nagar, New Delhi - 110 017  
Ph. : 011-51831432-34 Fax : 51010000
24. **Rajinder Nagar :**  
78, Old Rajinder Nagar Market, Old Rajinder Nagar, West Delhi, New Delhi - 110 060 Ph. : 011-25715637 Fax : 011-25715635
25. **Saket Branch :**  
E-146, Saket, New Delhi - 110 017 Ph. : 51664222, 51664333, 51664261-63 Fax : 27433446
26. **ITES Extn. Counter (Attached to DLF-Gurgaon Branch):**  
ITES Office Complex, ITES Bhawan, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon-122002, Haryana Ph. : 0124-2818925, 2385604/14, 2573007/3011 Fax : 2385620
27. **Ministry of Defence :**  
Govt. of India, Ministry of Defence, E- Block, DHQ, P.O. New Delhi-110011 Ph. : 011-23794951/52 Fax : 011-23794961
28. **Gitarattan Jindal Public School Rohini :**  
Gitarattan Jindal Public School, D-14-15, Pocket, Main Road, Sector-7, Rohini, New Delhi - 110 085  
Ph. : 011-27061310/11/12 Fax : 011-27061314
29. **Gupta Nursing Home, Palwal :**  
Gupta Nursing Home & Maternity Centre, New Colony Road, Near Agra Chowk, Palwal - 121 102 (Haryana)  
Ph. : 01275-240251/52, 240254 Fax : 01275-240253
30. **Krishna Nagar :**  
F-2/25, Krishna Nagar, New Delhi-110051  
Ph. : 011-22092074-76, Fax : 011-22092078

**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया :**  
विकास सदन, नई दिल्ली-110 023

**The State Bank of India / Central Bank of India :**  
Vikas Sadan, New Delhi-110023